न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः— कृष्णपाल सिंह चौहान(आर.ए.एस))

मुकदमा नम्बर 11 / 2020 दायर दिनांक 02.02.2021
जीसीएमएस नं. 2020 / 00017 निर्णय दिनांक 6.08.2021

हाजा पिता काना मीणा जाति मीणा, निवासी मेवडा, पुलिस थाना सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान :— प्रार्थी

बनाम

1. हुका पिता राजेंग मीणा जाति मीणा, निवासी मेवडा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा डूंगरपूर

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) राजस्थान एलोटमेन्ट लेण्ड फार एग्रीकल्चर परपच मीसल नम्बर 977 / 1992 समस्या समाधान शिविर चाडोली दिनांक 20.6.1992

अधिवक्ताः—प्रार्थी की ओर से श्री नरेश जोशी एडवोकेट
अधिवक्ता विपक्षी सं. एक :— श्री अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट
अधिवक्ता विपक्षी सं. तीन :— राजकीय पेरोकार

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी हांजा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि आराजी नम्बर 317 में से वर्ष 1992 में प्रभारी महोदय समस्या समाधान शिविर चाडोली ने विपक्षी सं. एक को 2 बिघा 10 बिस्वा भूमि आवटन की गई। आवटंन पश्चात् भूमि का नम्बर 2501 / 317 दर्ज किया गया। विपक्षी सं. 1 को 2 बिघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन गलत रूप से किया गया है विपक्षी सं. एक को आवंटन से पूर्व आवंटन नियमो की पालना नही की गई है। मौके पर आज तक कब्जा प्रदत्त नही किया गया है। मौके पर कब्जा प्रारंभ से ही लगभग 40 वर्ष से प्रार्थी व उसके परिवार का रहा हैं। विपक्षी सं. एक प्रार्थी जिस जगह काबिज होकर काश्त कर रहा है उस भूमि को अपनी भूमि बताकर लडाई झगडा कर रहा है, जबकि मौके पर प्रार्थी का पुराना मकान बना हुआ है तथा वहॉ पास

में प्रार्थी की खातेदारी भूमि भी स्थित है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी तथा उसके परिवार द्वारा काश्त की जा रही है मौके पर बाड लगी हूई है। पूर्व मे जानकारी प्राप्त किए जाने पर यह बात जानकारी मे आई थी, कि प्रार्थी का जहॉ मकान बना हुआ है और कब्जा काश्त है, वह भूमि प्रार्थी को आवंटित नही हुई है लेकिन विपक्षी मानने तैयार नही है। इस कारण विपक्षी सं. एक का आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। एवम् अन्य तथ्यों का अंकन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया।

विपक्षी सं. एक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के कथनों का अस्वीकार किया जाकर कथन किया गया कि आवंटन विधि अनुसार किया गया है तथा आवंटन शुदा भूमि पर विपक्षी का कब्जा है तथा आवंटन की जानकारी प्रार्थी को पूर्व से रही है। इस संबध मे विपक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया की माननीय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से मुकदमा निर्णीत हो चुका है तथा प्रार्थी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की जा चुकी है।

विपक्षी लेण्ड होल्डर की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नही हुआ ।

दौराने कार्यवाही प्रार्थी की प्रार्थना पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो रेकार्ड पर मौजुद है, जिसके अनुसार विपक्षी के आवंटन शुदा संपति पर प्रार्थी का मकान नही है तथा प्रार्थी का मकान विपक्षी के आवंटन शुदा भूमि से लगभग 200 मिटर की दूरी पर है।

प्रकरण मे बहस समायत की गई। प्रार्थी व विपक्षी अधिवक्तागण की ओर से अपने–अपने जवाब मे किए कथनों को दोहराया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन विशेष रूप से किया गया कि मौके पर विवाद सिर्फ प्रार्थी के मकान को लेकर है, जिसे विपक्षी अपनी भूमि मे होना कहता है तथा इस बात को लेकर विवाद है जबकि विपक्षी का खसरा नम्बर 317 की एक बिघा 10 बिस्वा पर कब्जा होकर इसी कब्जे के आधार पर तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा धारा 91 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत नोटिस प्रदत्त किए जा रहे है।

प्रकरण मे विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या प्रार्थी आवंटन निरस्त कराने का अधिकारी है :–

प्रकरण मे प्रार्थी की ओर से दो नामान्तकरण, जमाबंदी की नकल, धारा 91 रा.भू.रा. अधिनियम के नोटिस, नक्शा व वर्ष 2015 मे प्रस्तुत नक्शा

मौका प्रस्तुत किए गए इसी प्रकार विपक्षी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा के प्रकरण संख्या 109/14 में निर्णय दिनांक 17.11.2016 की नकल, नक्शा ट्रेस खसरा नं. 2501/317, खसरा गिरदावरी संवत 2070 (2.10.2017), नामान्तरण नकल प्रविष्टि 239 दिनांक 4.07.1992, खतौनी संवत 2068 (2065–2068), खतौनी पास–बुक दिनांक 9.01.1996 दस्तावेज पेश हुए है।

प्रकरण मे यह निर्विवाद तथ्य है कि विपक्षी सं. एक को आवंटन किया गया है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 9.03.2021 के आधार पर प्रार्थी का कब्जा विपक्षी की भूमि पर हो यह कहीं प्रमाणित नही है। ऐसी परिस्थति मे प्रार्थी का यह कथन असत्य साबित होता है, कि विपक्षी का आवंटन शुदा भूमि पर कब्जा नही है। लेकिन विपक्षी अधिवक्ता द्वारा इस बात पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र के कॉलम सं. 4 मे अंकित किया है कि अपीलार्थी का जो मकान बना हुआ है एवं उसके कब्जा काश्त की भूमि अपीलार्थी को आवंटित नही हुई है अर्थात अपीलार्थी के मकान व काश्त वाली भूमि और विपक्षी को आवंटित भूमि पृथक–पृथक हैं। वकील अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों और प्रकरण पर प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि अपीलार्थी का मकान व भूमि विपक्षी हुका की भूमि खसरा संख्या 2501/317 से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में प्रार्थी विधिक रूप से विपक्षी का आवंटन खारीज कराने का अधिकारी नही है। क्योंकि मेरी विनम्र राय में आवंटन नियमों की पूर्ण पालना हुई है तथा प्रार्थी उपरोक्त आवंटन को निरस्त कराने का अधिकारी प्रतीत नही होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारीज किया जाता है तथा विपक्षी का आवंटन बहाल रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 6.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर